(वाद संख्या–4547/17)

13.09.2019

परिवादी, नारायण महतो, उपस्थित हैं।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर पुलिस अधीक्षक, जमुई से पांच बार स्मारित करने के बावजूद भी वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी की पुत्री सरिता देवी को दहेज हेतु प्रताड़ित करने तथा उसकी हत्या कर उसकी शव को रेलवे पटरी पर फेंक देने से संबंधित सिमुलतला थाना कांड सं0–09/17, दिनांक–25.04.2017 के अभियुक्तों द्वारा परिवादी पर उपरोक्त आपराधिक मामले को उठा लेने हेतु जान से मारने की धमकी देने के आधार पर संस्थित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त सभी दस नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं–304(B)/ 120(B)/ 201 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा प्रस्तुत मामला वर्तमान में सत्रवाद सं0–85/18 के रूप में, विचारण हेतु, जमुई स्थित द्वितीय त्वरित न्यायालय में विचाराधीन है। परिवादी का कथन है कि विचारण के क्रम में परिवादी तथा उसकी पत्नी का न्यायालय में अभिसाक्ष्य हो चुका है तथा वर्तमान में प्रसंगाधीन मामला अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है।

परिवादी का कथन है कि अभी भी प्रसंगाधीन आपराधिक मामले के अभियुक्तों द्वारा परिवादी व उसके परिवार को धमकी दी जा रही है।

परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–2–1/प0) तथा आज परित आदेश की प्रति संलग्न कर पुलिस अधीक्षक, जमुई को परिवादी व उसके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने को निर्देश देते हुए आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>